सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAWAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

फाइल सं. सी-71/2012-एमपीलैड्स

Dated 08 मई, 2013

सेवा में

1. आयुक्त, कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मैजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय: उपयोग प्रमाण पत्र तथा लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र का संशोधन प्रपत्र

महोदय/महोदया,

निधियां जारी करते समय दस्तावेजों का सत्यापन सुचारू बनाने के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र तथा लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र अर्थात् एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुबंध VIII तथा IX में माननीय संसद सदस्य तथा निर्वाचन क्षेत्र के नाम संबंधी कॉलम को शामिल करते हुए प्रपत्रों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है ।

2. एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के संशोधित अनुबंध VIII तथा अनुबंध IX संलग्न हैं ।

3. इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

(डी. साईबाबा)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. सचिव, नोडल विभाग, एमपीलैड्स से संबंधित, (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
(एमपीलैड्स)

श्री ------------------------ सांसद निर्वाचन क्षेत्र --------------------------- वर्ष -------------- हेतु एमपीलैड्स के अंतर्गत प्राप्त की गई निधि के उपयोग प्रमाण पत्र का फार्म.

क्रम सं.	पत्र सं. तथा दिनांक	राशि	वर्ष	किस्त सं.
कुल				

प्रमाणित किया जाता है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के हाशिए में दिए गए पत्र के अंतर्गत ----------- निर्वाचन क्षेत्र के सांसद श्री ------------------------------------ के पक्ष में वर्ष - ------------ के दौरान स्वीकृत ---------- रुपए सहायता अनुदान तथा पिछले वर्ष की ---------------------रुपए की अव्ययित शेष राशि में से संबंधित सांसद द्वारा अनुशंसित एवं एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुज्ञेय ------------ रूपए की राशि का उपयोग उन कार्यों के निष्पादन के लिए कर लिया गया है । जिसके लिए स्वीकृत की गई थी । वर्ष के अंत में ---- -----------------रु. के अप्रयुक्त बकाया शेष को अगले वर्ष --------- हेतु ले जाया जाएगा ।

2. पूर्णत: संतुष्ट होने के बाद मैं प्रमाणित करता हूं कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था, विधिवत पूरी कर ली गई है और मैंने यह देखने के लिए निम्नलिखित जांच की है कि धन का उपयोग वास्तविक रूप से उसी उद्देश्य के लिए हुआ है जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था । इस उपयोग प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करते समय भी मेरे द्वारा निम्नलिखित प्रकार की जांच की गई है:-

1.
2.
3.

स्थान मुहर

दिनांक

जिला प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
पदनाम
दूरभाष

अनुबंध - IX

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
(एमपीलैड्स)

लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने 31 मार्च ---------- (वर्ष) की स्थिति के अनुसार वार्षिक तुलन पत्र तथा लेखाओं और जिला प्राधिकारी तथा कार्य निष्पादक अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत लेखा बही, प्रलेखों तथा अन्य दस्तावेज़ों से ----------- -------------- निर्वाचन क्षेत्र के श्री --------------------- के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की उसी तिथि पर, समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान तथा आय व्यय लेखाओं की लेखा परीक्षा कर ली है ।

हमारी राय तथा जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे प्रेक्षणों, जो नीचे दिए गए हैं, के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

(क) तुलनपत्र को उस पर दी गई टिप्पणियों के साथ पढ़ा गया जो 31 मार्च ----------- (वर्ष) की स्थिति के अनुसार एमपीलैड्स की सत्य एवं सही स्थिति पेश करता है ।

(ख) 31 मार्च ---------------- (वर्ष) को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु रु.. ---------------------- की तुलना में निधियों का अधिशेष सत्य एवं सही तस्वीर देता है ।

(ग) प्राप्ति एवं भुगतान लेखा 31 मार्च ---------------- (वर्ष) को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु स्कीम के संव्यवहार की सत्य एवं ठीक स्थिति प्रस्तुत करता है ।

(घ) स्कीम हेतु एक ही बैंक खाता चलाया जा रहा है ।

(ङ.) किसी भी धन को सावधि जमा के रूप में नहीं रखा गया है ।

(च) बचत बैंक खाते में उपार्जित ब्याज को एमपीलैड्स पर प्रयोग करने हेतु प्राप्ति के रूप में माना गया है ।

(छ) बैंक समाधान विवरण को इस माह ----------- (वर्ष) तक प्रत्येक माह नियमित रूप से तैयार किया जा रहा है ।

(ज) कैश बुक को वास्तविक उपार्जन के आधार पर लिखा जा रहा है ।

(झ) आय तथा व्यय लेखा में दर्शाया गया व्यय उपयोग प्रमाणपत्रों में उचित रूप से प्रतिबिम्बित हो रहा है ।

(ट) निधि को किसी और काम में लगाने का कोई मामला नहीं है ।स

(ठ) जिला प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित रिपोर्टें लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र का हिस्सा हैं--

  (i) 31 मार्च ---------------- (वर्ष) को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट ।

  (ii) 31 मार्च ---------------- (वर्ष) तक की संचयी वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट । (लोक सभा सांसदों के मामले में उनके प्रवेश के समय से ही तथा राज्य सभा सांसदों के लिए उनके कार्यालय की अवधि)

  (iii) एमपीलैड्स निधि उपयोग प्रमाण पत्र ।

(ड) जहां तक हमारे द्वारा लेखा परीक्षित लेखाओं का सवाल है, इसमें लेखा परीक्षा संबंधी कोई आपत्ति नहीं है । यदि लेखा परीक्षा संबंधी कोई आपत्ति लंबित हो तथा वर्तमान लेखा परीक्षा के दौरान आपत्तियां उठाई गई हों तो कृपया उसका ब्यौरा दें । यदि चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा दर्शाई गई लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियां हों, तो मुहर तथा हस्ताक्षर सहित उन्हें इस प्रमाणपत्र के साथ संलग्न करें) ।

(प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा करने वाली फर्म के लैटरहैड पर लेखा परीक्षक (परीक्षकों) के मुहर सहित हस्ताक्षर, नाम, पता, टेलीफोन, फैक्स तथा ई-मेल को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए होना चाहिए) ।